जय प्रकाश विश्वविद्यालय

राहुल सांकृत्यान नगर,छपरा –841301,बिहार, भारत

JAI PRAKASH UNIVERSITY

RAHUL SANKRITYAYAN NAGAR, CHAPRA-841301, BIHAR (INDIA)

Tel.No.06152-233121(O) 233509(R) FAX- 06152-233507(O)

विद्या ददाति विनयम्

Letter No.- 1039-F.O. Dated:- 22.07.2017.

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी अंगीभूत / अल्पसंख्यक / घाटानुदानित,
महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग के सभी विभागाध्यक्ष।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–2019 का बजट प्राक्कलन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के संबधं में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्यपाल, राजभवन बिहार, राजभवन, पटना के पत्रांक TMBU-18/2017-1993/GS(i) दिनांक 27.06.2017 के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि अपने महाविद्यालय / स्नातकोतर विभाग में स्वीकृत पदों पर विधिवत् रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतनादि से संबंधित वित्तीय वर्ष 2018–2019 का बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्र में 147% महंगाई भत्ता के साथ जुलाई 2018 में 3% वेतन वृद्धि जोड़कर राशि की गणना एवं वेतन एवं जीवन यापन भत्ता में होने वाले अनुमानित कुल व्यय पर 25 प्रतिशत की वृद्धि एवं मकान किराया भत्ता पर अनुमानित व्यय पर 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए पूर्ण रूप से तैयार कर पत्र प्राप्तिके एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा करें। ध्यान रहे की संलग्न प्रपत्र का सभी कॉलम पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में भरा होना चाहिए। प्रपत्र का एक भी कॉलम अपूर्ण रहने पर बजट प्राक्कलन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रपत्र 1 एवं 2 जिसमे बजट तैयार करना है। (संलग्न)

बजट प्राक्कलन के साथ महाविद्यालय / स्नातकोतर विभागों में वित्तीय वर्ष 2016–2017 में विभिन्न मदों में हुए वास्तविक आय एवं व्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2017–2018 में संशोधित आय–व्यय की पूर्ण मदवार विवरणी एवं वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आन्तरिक स्रोत से होने वाले आय–व्यय की प्राक्कलित विवरणी भी तैयार कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

इस सम्बन्ध में यह भी स्मरणीय है कि महाविद्यालय / स्नातकोतर विभागों द्वारा सभी प्रकार के आय–व्यय का उपबन्ध बजट प्राक्कलन में निश्चित रूप से किया जाय। आय–व्ययक में उपबन्ध नहीं रहने की स्थिति में वैसे आय–व्यय को अनियमित माना जायेगा।

बजट प्राक्कलन की हार्ड कॉपी (Hard Copy) तथा सॉफ्ट कॉपी (Soft Copy) एम0एस0 एक्सेल (Ms-excel) में उपलब्ध कराई जाय।

बजट प्राक्कलन के साथ फरवरी 2018 तक एवं मार्च 2018 से फरवरी 2019 तक सेवा निवृत होने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की पृथक सूची भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है, कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे ।

विश्वासभाजन

22.07.17

कुलसचिव